संक्षिप्त समाचार

अवैध शराब के विरूद्ध हुई कार्यवाही

दुर्ग (चिन्तक)। सचिव एवं आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिले के देशी एवं विदेशी शराब दुकानों में आबकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 03 जनवरी को छापामार कार्यवाही की गई।

इसी के अंतर्गत दुर्ग के चिन्हित क्लब, होटल और बार में भी आकस्मिक जांच की कार्यवाही किए जाने पर रेस्टोरेंट फोर सिजन में 105 नग बीयर, 02 नग विस्की, जप्त कर अनियमितता पाए जाने का प्रकरण कायम किया गया। कार्यवाही से सभी ढाबा एवं बार संचालकों में अवैध शराब बिक्री को लेकर हड़कंप मचा है। भविष्य में भी विभाग द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

सामूहिक समारोह में एक तिहाई से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर जिला दण्डाधिकारी की अनुमति अनिवार्य

दुर्ग(चिन्तक)। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार विवाह/अंत्योष्ठि, दशगात्र आदि सामूहिक समारोह कार्यक्रम स्थलों में निर्धारित क्षमता से एक तिहाई एवं 200 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश के लिए जिला दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। कार्यालय कलेक्टर से जारी आदेशानुसार दुर्ग जिले में उक्त नियम का परिपालन किया जाना अनिवार्य किया गया है।

कलेक्टर भूरे ने किया विमोचन

दुर्ग(चिन्तक)। जिला चिकित्सालय एवं जिला स्वास्थ विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक वर्षिक कलेंडर का विमोचन जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के हाथो हुआ। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ पी बालकिशोर सहित अन्य उपस्थित थे।

निधन
सुरजी देवी शर्मा

भिलाई(चिन्तक)। प्रगति नगर निवासी सुरजी देवी शर्मा का आज निधन हो गया वे 92 वर्ष की थीं। उनका अंतिम संस्कार संध्या 4 बजे रिसाली मुक्तिधाम में किया गया। वे सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक विजय शर्मा, पत्रकार कमल शर्मा की माँ थीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संघ के संरक्षक आर.पी.शर्मा, अध्यक्ष बी.बी.एस. ठाकुर, सचिव दिग्विजय सिंह परिहार सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजली दी है।

।। न्यायालय नायब तहसीलदार अण्डा सर्किल दुर्ग (छ.ग.)।।

202112101200061

// उद्घोषणा //

एतद द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अर्जुन पिता गैंदलाल निवासी ग्राम कोडिया तह व जिला दुर्ग द्वारा आवेदक एवं संतराम पिता गैंदलाल के नाम पर एवं सरजू पिता गैंदलाल के नाम पर मौजा ग्राम भानपुरी पहन 38, रा.नि.म. अण्डा तह व जिला दुर्ग में स्थित है जिसका ख.न. 319, रकबा 1,370 हे. लगान 1.31 रू राजस्व अभिलेख में नाबालिक के रूप दर्ज है । आवेदक के शालये एवं आधार कार्ड में आवेदक की जन्मतिथि 01.01.1972, सरजू की जन्मतिथि 01.01.1975 एवं संतराम जन्मतिथि 01.01.1978 है जो कि वर्तमान में बालिक हो चुका है। राजस्व अभिलेख रिकार्ड में सभी का नाम नाबालिग दर्ज है उसे वर्तमान आधार कार्ड एवं शालेय प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज में बालिग होने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा / आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 06/01/2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय मे उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं । समयावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया ।

मुहर

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचना गैरकानूनी

खास बात

- विक्रेता मुद्रित एमआरपी से ज्यादा का कोई सामान नहीं ले सकता है
- कोई भी दुकानदार और निर्माता व्दारा निर्धारित एमआरपी से अधिक नहीं बेच सकता है

दुर्ग (चिन्तक)। जिले के विभिन्न स्थानों पर श्री राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर उपभोक्ता अधिनियम के संबंध में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। श्री राहुल शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पैरा लीगल वालंटियर द्वारा बताया कि कोविड संबंधित नियमों का पालन करना अति आवश्यक है ताकि कोविड-19 महामारी से बचा जा सके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अक्सर यह शिकायत प्राप्त होती है कि विक्रेता किसी वस्तु पर वर्णित एमआरपी से ज्यादा उस वस्तु को बेचते हैं।

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2018 से ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान के लिए समानो का अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी बताना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा हो सकती है । इस नियम को लागू करने के साथ ई-कॉमर्स कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि यदि वे किसी भी उत्पाद को डिस्काउंट, ऑफर या छूट में बेच रही हैं, तब भी ग्राहकों के हितों के मद्देनजर उनके लिए एमआरपी समेत अन्य जानकारियां देना अनिवार्य होगा। जनमानस को उपभोक्ता अधिनियम की जानकारी नही होने से कानूनी उपचार प्राप्त नही हो पाता है।

विक्रेता मुद्रित एमआरपी से ज्यादा का कोई सामान नहीं ले सकता है और कोई भी दुकानदार और निर्माता द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक नहीं बेच सकता है परंतु यदि कोई दुकानदार एमआरपी मूल्य से ज्यादा मूल्य से वस्तु को बेचता है तो उसके खिलाफकानूनी कार्रवाई हो सकती हैं। वर्तमान में ग्राहकों से एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वालों को अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। पहली गलती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किए जाने की बात है। तीसरी गलती पर अभी 1लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है रेलवे परिसर में उक्त जागरूकता अभियान में विशेष तौर पर ऐसे लोग को जो कि बिना मास्क धारण किए रेलवे परिसर में घूम रहे हैं, उन्हें इस आशय का बंधपत्र भरवाया जा रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के संबंध में सार्वजनिक स्थान पर मास्क अवश्य शासन की कोविड-19 से संबंधी नियमों का पालन करूंगा।

सरपंच प्रत्याशी का नामांकन निरस्त करने पर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन

दुर्ग (चिन्तक)। ग्राम खोपली मे सरपंच पद के लिए हो रहे उपचुनाव मे पूर्व सरपंच व मंडल भाजपा अध्यक्ष फत्ते लाल वर्मा के नामांकन फार्म निरस्त किए जाने के मुद्दे को लेकर आज फिर भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रकट करते हुए कलेक्टर कि अनुपस्थिति मे एसडीएम पद्मनी भोई साहू को ज्ञापन सौंपकर न्याय देने कि मांग किया तथा इसे भूपेश सरकार कि शह पर अधिकारियों द्वारा पंचायती राज अधिनियम का धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए अलोकतांत्रिक बताकर सरपंच प्रत्याशी का नामांकन पर पुनर्विचार की मांग किया।

इस अवसर पर जिला महामंत्री ललित चंद्राकर जिलामंत्री दिनेश देवांगन उतई मंडल भाजपा अध्यक्ष व सरपंच प्रत्याशी फत्ते लाल वर्मा,महामंत्री सोनू राजपूत,युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण यादव किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष थलेंद्र राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने जानकारी देते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी आनन फानन में पदासीन सरपंच को बर्खास्त कर बैगर कोई निर्वाचन के प्रक्रिया किए दो दिन बाद चुनाव कराना पूर्व नियोजित साजिश है और उसके बाद पूर्व सरपंच फत्ते लाल वर्मा का नामांकन निरस्त किया जाना यह इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में हार को देखकर कांग्रेस सरकार के नेताओ ने दबाव डालकर ही फार्म निरस्त करवाए है जिसका भाजपा पुरजोर विरोध करती है भाजपा नेताओं ने आगे कहा कि वास्तव मे जिस प्रकार से अभी सम्पन्न हुए निकाय चुनाव में भूपेश सरकार के सरंक्षण मे चुनाव परिणामों में हेर फेर किया उससे साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव मे सफलता प्राप्त नहीं कर सकती इसलिए अब पंचायत चुनावों मे भी भाजपा कार्यकर्ताओ को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने कही नामांकन फार्म निरस्त किए जा रहे है तो कहीं उन्हे चुनाव लडने से रोकने प्रशासनिक रूप से दबाव बनाए जा रहे है जिसका भाजपा पुरजोर विरोध करती है भाजपा नेताओं ने खोपली सरपंच प्रत्याशी फत्ते लाल वर्मा व कुटेला भाठा सरपंच उम्मीदवार राजकुमारी साहू के नामांकन फार्म निरस्त किए जाने पर रिटनिंग आफिसर को कांग्रेस सरकार कि एजेंट कि तरह कार्य से बाज आने की चेतावनी देते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार कि प्रशासनिक दादागिरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कोरोना काल में भी जनता के विश्वास पर खरे उतरे : धीरज

महापौर बाकलीवाल के दो साल, सहजता व सरलता ने नागरिको का जीता दिल

दुर्ग(चिन्तक)। नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल एवं पार्षदों का कार्यकाल गुरुवार 6 जनवरी को 2 वर्ष पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,नगरीय निकाय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन में इन दो वर्षो में महापौर परिषद् ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये। जिससे शहर की जनता को मूलभूत सुविधा सुगम तरीके से मिलती रही।

शहरी सरकार ने राज्य सरकार की सभी जनकल्याण कारी योजनाओं को बड़ी असानी से जनता तक पहुचाने का कार्य किया है। महापौर एवं उनकी टीम व सभी जनप्रतिनिधियों ने कोरोना काल के समय प्रमुखता से शहर के जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता में आगे आये। देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में जिस समय कठोर लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, उस समय भी दुर्ग निगम के परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में सर्वप्रथम एमआईसी बैठक में निर्णय लेकर जरूरतमंदो तक कच्चा राशन एवं दिहाड़ी मजदूरो एवं बेसहारा लोगो को पका हुआ भोजन का पैकेट पहुचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया।

कोविड़ महामारी के दौरान बचाव हेतु सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वयं के निधि से मास्क, सैनेटाईजर इत्यादि घर-घर पहुचाने का कार्य किया। बरसो से सभी जनप्रतिनिधियों के मांग थी कि सामान्य सभागार निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है जो मार्च तक नव निर्माण एमआईसी भवन का शुभारंभ किया जाना है।

विकास कार्य में कमी नहीं

पिछले दो सालो में कोविड़ का प्रकोप जारी रहा किन्तु महापौर धीरज बाकलीवाल एवं परिषद ने विकास कार्य एवं जनता की मूलभूत सुविधा को नहीं भूला। कोविड़ महामारी के दौरान ही शहर का पहला पिकनीक स्पॉट 16 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ठगड़ा बांध जिसका 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य जल्द पूरा होकर शहर की जनता को सौगात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ी की संस्कृति की झलक हेतु लोककला मार्ग बनाया गया। जो शहर की जनता के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। बेहतर मार्केट की व्यवस्था के लिए इंदिरा मार्केट में व्यापरियों की मांग अनुसार युनिशेड का निर्माण किया गया ।

हाईमास्क लाईट लगाया गया

14 वे वित्त अंतर्गत बड़ी नालियों का निर्माण कार्य जारी हो चुका है। छोटी नालियों का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। रेल्वे स्टेशन के पास बर्सो से व्याप्त गंदगी को हटाकर सुन्दर दुर्ग की कल्पना के साथ पेंटिग कार्य कराया गया। इंग्लिश मिडियम स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शासन की पौनी पसारी योजना के तहत् चबुतरा निर्माण कर पुस्तैनी व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों को आबंटित किया गया। इस वर्ष गौरव पथ निर्माण कार्य, शिवनाथ नदी रोड़ निर्माण कार्य जैसे जनसुविधा के कार्य प्रस्तावित है।शहर की सबसे बड़ी समस्या शंकरनाला निर्माण भी इसी परिसद् के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। जिससे बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या से जनता को निजाद दिलाई गई।

शासन की योजनाओ का बेहतर तरिके से जमिनीस्तर पर क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग केन्द्र एवं राज्य शासन की बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओ को जमीनिस्तर पर जनता तक पहुचाने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् घर-घर मकान निर्माण तथा एएचपी योजना अंतर्गत बेसाहरा, भूमिहीन नगारिको का मकान आंबटन की कार्यवाही ।अमृत मिशन योजना अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन का कार्य किया गया। उच्चास्तरिय पानी टंकियों का निर्माए भी कराये गये।मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत् दुर्ग के नागरिको को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई दी गई।

कोविड-19 की रोकथाम पर हो प्रभावी कार्य, हर स्तर पर रखे तैयारी: आयुक्त

आयुक्त ने विभागीय कार्यों की ली समीक्षा बैठक, मिशन मोड पर काम करने के निर्देश

भिलाई(चिन्तक)। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने आज कोविड-19 की रोकथाम के लिए बैठक आहूत की। उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य करें और हर स्तर पर इससे निपटने के लिए तैयार रहें।

पॉजिटिव मरीज की सूची प्राप्त होते ही होम आइसोलेशन वाले घरों में स्टीकर चस्पा के साथ ही तत्काल रुप से दवाइयां उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त भिलाई निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी जोन आयुक्त अपने-अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करे, विकास कार्यों की गति धीमी नहीं होनी चाहिए, प्रगति नहीं दिखाई दी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, विकास कार्यों को गति देने मिशन मोड पर काम करें।

मुख्यमंत्री की घोषणा, ईडब्ल्यूएस की जमीन, पट्टा वितरण के कार्य, जन चौपाल, पीजीएन, जनदर्शन, 14 एवं 15 वे वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, बीएसपी से एनओसी प्राप्त नहीं होने वाले कार्य, गोठान, गोधन न्याय योजना, पेंशन, जल जनित बीमारियों की रोकथाम एवं डेंगू नियंत्रण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर, वाटर एटीएम, अमृत मिशन, अतिक्रमण, स्वास्थ्य, राजस्व, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, गरीब, कमजोर आय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की एंट्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे विषयों पर भी जानकारी ली।

समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता यू.के. धूलेन्द्र, प्रभारी अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार जोशी, नेहरू नगर जोन आयुक्त मनीष गायकवाड़, वैशाली नगर जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, मदर टैरेसा नगर जोन आयुक्त ऐसा लहरें, बीएसपी क्षेत्र जोन 5 की जोन आयुक्त प्रीति सिंह एवं शिवाजी नगर जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रभारी अधिकारी विनीता वर्मा, कार्यपालन अभियंता डी.के. वर्मा, संजय बागड़े, संजय शर्मा, प्रभारी कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे एवं कुलदीप गुप्ता तथा रीता चतुर्वेदी सहित अन्य मौजूद थे।

सिविल सर्जन को बधाई दी कलेक्टर ने

दुर्ग,(चिन्तक)। जिला चिकित्सालय के मुखिया सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ पी बालकिशोर का जन्म दिवस पर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के सानिध्य में केक काटा गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर, जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉ अरुण साहू, जिला मलेरिया टीकाकरण अधिकारी डॉ सीबीएस बंजारे, जीवन दीप समिति के कार्यकारिणी सदस्य दिलीप ठाकुर, दुष्यंत देवांगन उपस्थित थे। सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग , दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 29.12.2021

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)
प्रथम आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपन्न "अ" में प्रतिशत दर पर दिनांक 18.01.2022 तक आमंत्रित की जाती है :

निविदा आमंत्रण सू.क्र./ सिस्टम क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में
341/89977	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.राज्य सड़क परियोजना लोक निर्माण विभाग, दुर्ग कार्यालय हेतु मीटिंग हॉल रिकॉर्ड रुम का मरम्मत	20.07
342/89978	बेमेतरा उपसंभाग के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य शासकीय भवनों का मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य	61.50
343/89980	लोक निर्माण विभाग, अनुविभाग क्रं 1 बालोद के अंतर्गत शासकीय आत्मानंद हिन्दी मीडियम स्कूल बालोद का रिनोवेशन कार्य	49.97
344/89981	चिल्फी - रेंगाखार - साल्हेवारा मुख्य जिला मार्ग दुर्ग में डब्लू. एम.एम. एव बी.टी. पंच रिपेयर कार्य	80.00

टीप :-
1. एनआईटी क्रं. 341 लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग से संबंधित है एवं एनआईटी क्रं. 342 लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग से संबंधित है । एनआईटी क्र. -343 लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग से संबंधित है एवं एनआईटी क्र. 344 लोक निर्माण विभाग कवर्धा संभाग से संबंधित है ।
2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, विस्तृत निविदा विज्ञति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई - प्रोक्योरमेंट देब portal स एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है ।
3. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. कमाता एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें ।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मंडल दुर्ग

जी-66520/2

हड़ताल हुई बेअसर

भिलाई(चिन्तक)। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र में कुछ श्रमिक संगठनों ने हड़ताल का आव्हान किया था। परन्तु भिलाई की इस्पात बिरादरी ने अपनी ड्यूटी में सम्पूर्ण उपस्थिति दर्ज कर हड़ताल को बेअसर कर दिया। कर्मचारियों के समग्र उपस्थिति के चलते भिलाई इस्पात संयंत्र ने 5 जनवरी, 2022 को अपने उत्पादन की सामान्य गति को बनाये रखा।

संयंत्र के विभिन्न विभागों में सामान्य दिनों की तरह उत्पादन कार्य जारी रहा साथ ही प्रषासनिक कार्य भी निर्विघ्न सम्पन्न हुए। इसके साथ ही बीएसपी के सभी प्रमुख उत्पादन इकाईयां जैसे कोकओवन, सिंटरिंग प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप सभी रोलिंग मिलें तथा अन्य सहयोगी विभागों के कार्मिकों ने संयंत्र के उत्पादन व विविध अनुरक्षण गतिविधियों को सामान्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसकी अतिरिक्त यूनिवर्सल रेल मिल में चल रहे कैपिटल रिपेयर का कार्य भी सामान्य दिनों की तरह चलता रहा।कुछ श्रम संघों द्वारा बुलाए गए हड़ताल को बेअसर करते हुए प्रथम व द्वितीय पाली में कार्मिकों की उपस्थिति सामान्य रही। भिलाई की इस्पात बिरादरी ने इस हड़ताल को सिरे से नकार दिया।

।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202112100400368

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका चिंतामणी पति लखन चौधरी निवासी-मरोदा सिविक सेंटर भिलाई व्दारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-उमरपोटी प.ह.न.42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 763/3 रकबा 0.012 हे.1305 **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय
अधिकारी दुर्ग
जिला दुर्ग

।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202112100400512

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक वासुदेव यादव आ. विशंभर यादव निवासी-मरोदा सेक्टर भिलाई व्दारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-उमरपोटी प.ह.न.42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 785/6 रकबा 0.010 हे.1126.5 **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय
अधिकारी दुर्ग
जिला दुर्ग

।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

प.न. 202112100400516

एतद व्दारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका इंदु वासनिक पति मनोज कुमार निवासी-सेक्टर 04 भिलाई व्दारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-उमरपोटी प.ह.न.42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 411/22 रकबा 0.016 हे. **वर्गफीट आवासीय** प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा /आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय
अधिकारी दुर्ग
जिला दुर्ग

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

20220110070048

रा.प्र.क्र. / अ-74/ वर्ष 21-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोतीलाल ठाकुर पिता स्व. चमरु राम ठाकुर निवासी ग्राम सेलूद तहसील पाटन जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 54/29 रकबा 0.012 हे.भूमि जो कि आवेदक /शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक व्दारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों व्दारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक - 01/01/22
सुनवाई दिनांक - 18/01/22

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।

उद्घोषणा

202112100700395

रा.प्र.क्र./ अ-6/ वर्ष 21-22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता आवेदक - कमल नयन भोयर पिता स्व.मंगलदास भोयर निवासी ग्राम शंकर नगर तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के व्दारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं.1306/11 रकबा 0.010 हे.भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार मंगलदास की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 30/12/21 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक- 30/12/21
सुनवाई दिनांक - 22/01/22

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)